भारत के राजपत्र असाधारण (भाग–I खण्ड–1) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 8 /2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 1 मई, 2015

विषयः अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात दायित्व अवधि से संबंधित परिशिष्ट–4ञ में संशोधन।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैराग्राफ 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (2015–2020) के परिशिष्ट 4ञ में निम्नलिखित संशोधन करते हैंः–

2. "विशिष्ट निविष्टियों के लिए निर्यात दायित्व अवधि" से संबंधित परिशिष्ट 4ञ की तालिका में निम्नलिखित प्रविष्टि को तत्काल प्रभाव से जोड़ा जाता हैः–

क्रम सं.	आयात मद (मदें)	सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आयात खेप की स्वीकृति की तिथि से निर्यात दायित्व अवधि
9)	खांड	6 माह

3. <u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः</u>

अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के अंतर्गत "खांड" के आयात हेतु आयात–पूर्व शर्त अनिवार्य होगी। अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातित "खांड" हेतु निर्यात दायित्व की अवधि को सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक खेप को स्वीकृति प्रदान करने की तिथि से छह माह कम कर दिया गया है।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/94/180/एए–शुगर/एएम 09/पीसी–4 से जारी)